पत्रांक सं0/Letter No. : 2693/25 दिनांक/Date : 23/6/25

प्रेस विज्ञप्ति

AIBE 19 की परीक्षा में बार काउंसिल ऑफ इण्डिया द्वारा जारी निर्देश के अनुक्रम में बहुत से ऐसे अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन किया गया था, जिनका पंजीकरण राज्य बार काउंसिल से नहीं था और उनमें से बहुत से अभ्यर्थियों द्वारा AIBE 19 की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली गयी है और उनके परीक्षा परिणाम के आगे Undertaking लिख दिया गया है। उक्त Undertaking को हटाने के लिये अभ्यर्थियों को बार कांउसिल ऑफ इण्डिया की वेबसाइट पर राज्य बार काउंसिल द्वारा प्रदत्त पंजीकरण प्रमाण पत्र को अपलोड करना अनिवार्य है, जिसकी अन्तिम तिथि परीक्षा परिणाम से 06 माह अर्थात् दिनांक 31 अगस्त 2025 नियत है।

उक्त संदर्भ में ऐसे सभी अभ्यर्थियों को जिन्होंने बिना राज्य बार काउंसिल में पंजीकरण कराये AIBE 19 की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है, को अवगत कराया जाता है कि वे बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश में अधिवक्ता पंजीकरण हेतु आनलाइन आवेदन https://forms.easebuzz.in/register/Bar3nitV/barcouncilup लिंक पर कर सकते हैं। उक्त लिंक पर प्राप्त आवेदन से संबंधित प्रपत्र, नोटरी शपथ पत्र इस आशय का कि उन्होंने AIBE 19 की परीक्षा रोल नं0 .... पर उत्तीर्ण कर ली है, को अपने ई–मेल आई0डी0 एवं वाट्सएप्प नम्बर के साथ बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश को जरिये ई–मेल barcouncilup@gmail.com पर सूचित करेंगे, जिससे अभ्यर्थी को ऑनलाइन साक्षात्कार हेतु वीडियो कान्फ्रेंस लिंक प्रेषित किया जा सके एवं साक्षात्कार की तिथि व समय की सूचना प्रेषित की जा सकें।

दिनांक 23.06.2025

(सचिव)
बार काउंसिल ऑफ उ0प्र0

नोट

सम्पादक महोदय को इस अनुरोध के साथ कि उक्त प्रेस विज्ञप्ति को प्रदेश के समस्त समाचार पत्रों में प्राथमिकता पर प्रकाशित कराने का कष्ट करें।